

क्रमांक: F2(103)/DoITC HQ/2024/VOL-1/

जयपुर, दिनांक :

समस्त अधिकारी/कर्मचारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग/
अन्य विभागों में कार्यरत आई.टी. कार्मिक

विषय:- विभाग का SBI और BOB बैंक के मध्य सैलेरी पैकेज हेतु MOU के पश्चात आवश्यक व्यक्तिगत डेटा उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा SBI और BOB बैंक से MoU किया गया है। जिसमें कार्मिकों को सैलेरी पैकेज के माध्यम से विभिन्न निःशुल्क सेवाएँ प्राप्त होगी।

MoU किये जाने के पश्चात संबंधित बैंकों को कार्मिकों का केन्द्र सरकार के DPDP Act 2023 की पालना करते हुये आवश्यक व्यक्तिगत विवरण को बैंकों के साथ साझा किये जाने के लिये सहमति ली जानी आवश्यक है। विभागीय वेबसाइट पर एम्प्लोई कॉन्स में उक्त दोनों बैंकों से हुये MoU की प्रति एवं आवश्यक विवरण उपलब्ध है। बैंकों MoU को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

बैंकों से हुये MoU के अनुसार मिलने वाले समस्त निःशुल्क परिलाभ कार्मिकों के द्वारा विभागीय वेबसाइट पर सहमति प्रदान करने के पश्चात विभाग द्वारा बैंकों को विवरण साझा करने एवं MoU में वर्णित बैंकों की शर्त/नियमानुसार के अनुसार ही देय होगी। कार्मिकों के द्वारा सहमति निम्नानुसार दी जा सकेगी:-



अतः ऐसे कार्मिक जो कि विभाग द्वारा बैंकों के साथ हुये MoU के अनुसार लाभ प्राप्त करना चाहते है। कार्मिक स्वयं के उस बैंक खाते का विवरण ही साझा करे, जिसमें वेतन जमा किया जा रहा है, शीघ्र-अतिशीघ्र विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सहमति प्रदान करें ताकि विभाग संबंधित बैंक को डेटा उपलब्ध करवाते हुये आपको लाभ दिलवा सकें।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. संबंधित कमेटी सदस्य।
4. रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव
Document certified by RAMESHWAR LAL
SOLANKI <rsolanki@rajasthan.gov.in>